न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 93/2020

1. जयप्रकाश पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. मनोज कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. अनिल कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज सिंह पुत्र धुड़ाराम जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. सुमित्रा पुत्री इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. बिमला पुत्री इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. बैंक ऑफ बड़ोदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चिड़ावा निवासी चिड़ावा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 02.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि ग्राम ख्यालियों की ढाणी पटवार हल्का काकोड़ा की सरहद में भूमि खसरा न0 128 रकबा 3.76 है0, खसरा न0 135 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 136 रकबा 4.99 है0, खसरा न0 141 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 149 रकबा 0.04 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.16 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादी न0 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम ख्यालियों की ढाणी पटवार हल्का काकोड़ा की सरहद में भूमि खसरा न0 128 रकबा 3.76 है0, खसरा न0 135 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 136 रकबा 4.99 है0, खसरा न0 141 रकबा 0.32 है0, खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

149 रकबा 0.04 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.16 है0 को ता दावा फैसला विक्रय गिरवी रहन आदि ना करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा कारित ना करें।

(ग) यह कि प्रतिवादी न0 05 को आदेशित किया जावे कि निर्णय व डिक्री की पालना करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी से भूल व अज्ञानतावश चाही जाने से रह गई हो वह वादी के पक्ष में निर्धारित की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 इकबालिया बयान पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 की और से श्री सत्यानन्द एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं दावे में चाही गई सिद्वियो के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 1 का इकबालिया जवाब।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने दावे में चाही गई सिद्वियों के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 128 रकबा 3.76 है0, खसरा न0 135 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 136 रकबा 4.99 है0, खसरा न0 141 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 149 रकबा 0.04 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.16 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिक्री किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:– 93/2020
जयप्रकाश वगै0 बनाम इन्द्राज सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:– 02.09.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 93/2020

निर्णय दिनांक :– **02-09-2022**

जयप्रकाश वगै0 बनाम इन्द्राज सिंह वगै0

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री अजय कुमार एड0** व प्रतिवादी सं. 02 लगायत 03 की ओर से **श्री सत्यानन्द एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 02.09.2022 को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 128 रकबा 3.76 है0, खसरा न0 135 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 136 रकबा 4.99 है0, खसरा न0 141 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 149 रकबा 0.04 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.16 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिक्री किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner